

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.


सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुबा बनाम अरतलीष्टो मंगल पाट  
प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट शनीता

प्रकरण संख्या :- RA/28/2022

निर्णय दिनांक :- 13/6/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शनीता  
की आ.ख.न. 112 कुल रकबा 3.00 किस्म जमीन गिण्डो में से 0.01  
रकबे पर श्री अरतलीष्टो मंगल पाट पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर  
श्री अरुबा कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुबा द्वारा दिनांक  
6/5/22 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद  
भू.अ.निरी. दासेंदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी अरतलीष्टो मंगल पाट जाति पाट निवासी शनीता को भू.  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी  
नहीं उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 112 रकबा 3.00 में से 0.01  
रकबे किस्म गिण्डो है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित  
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 0.18 Pais का  
50 गुणा 9.00 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा  
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुबा भू.अ.निरी.  
दासेंदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

  
तहसीलदार (अलवर)  
तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)